# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/डिक्री/टीए/3184/2004/जैसलमेर**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन नाचना नंबर–2 जिला जैसलमेर।

**............अपीलार्थी**

**बनाम**

हाजी खां पुत्र शरीफ खां जाति मुसलमान निवासी खैरूवाला तहसील एवं जिला जैसलमेर।

**............प्रत्यर्थी**

**खण्ड–पीठ**
**श्री अविनाश चौधरी, सदस्य**
**श्री एस.के.पुरोहित, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**दिनांक**

**निर्णय**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–6–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 15 एएए (2क) 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वितीय संशोधन 1992 एवं धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा जो वर्तमान में चक 14 केडब्लूडी के मुरब्बा

नंबर 186/22, 23, 30 व 31 जागीर समय से कब्जाकाश्त है तथा सरकार को बिगोडी देते है। विवादित आराजी वादी की गैर खातेदारी में थी किंतु सेटलमेंट ने उसे सिवायचक दर्ज कर दी। अतः उसे विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—04 द्वारा खारिज कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर के निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7—6—04 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 29—4—04 खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सरकार द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादी के पाकिस्तान चले जाने के कारण खसरा नंबर 98, 99,101 रकबा 34 बीघा खारिज कर सिवायचक घोषित की गई है। वादी ने नहर आने के कारण वाद प्रस्तुत किया है तथा मौके पर उसका कोई झौपा व कुण्ड नहीं है। विवादित आराजी का पोंग बांध विस्थापित को आवंटन किया जाकर कब्जा संभला दिया गया। विवादित आराजी राजकीय भूमि है तथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय सहीं है। रेस्पोडेंट वादी परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे विवादित आराजी पर उसका अधिकार सिद्ध होता हो। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी तनकीयों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय

निरस्त कर विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अभिकथन किया कि वादी द्वारा सरकारी रिकोर्ड की नकलें खसरा गिरदावरीव जमाबंदी, ढालबांछ की प्रमाणित प्रतिलिपियां, पर्चा लगान, लगान रसीदों की छाया प्रति अपना विधिपूर्ण कब्जा साबित करने के लिये पेश की गई है व जुबानी शहादत से भी वाद साबित किया गया। परीक्षण न्यायालय ने किसी भी मौखिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 23—12—1992 अनुसार उपनिवेशन विभाग को जमाबंदी नहीं बनानी है व तहसीलदार सबंधित सीलिंग सीमा तक काश्तकारों को खातेदारी देकर नामांरतरकरण प्रमाणित करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त परिपत्र अनुसार वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। सवंत् 2012 से 2034 तक की खसरा गिरदावरी, सरकारी लगान इंद्राज ढालबांछ की नकलें, खेवट खतौनी संवत् 2025 से 2028 अनुसार वादी गैर खातेदार दर्ज है। जिसे गलत साबित नहीं किया गया है। वादी दस्तावेजी साक्ष्य के अलाव जुबानी शहादत से भी वर्ष 1955 से पूर्व से कृषक के रूप में अपना कब्जा साबित कर चुका है तथा वादी पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त कर चुका है। सेटलमेंट को विवादित आराजी सिवाचयक दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। मात्र पाकिस्तान जाना अंकित करते हुये उसकी गैर खातेदारी निरस्त की गई है। परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद उसका वाद खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— **अवधार्य प्रश्न :—**

आया योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7—6—2004 द्वारा विचारण न्यायालय न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—2004 अपास्त करने में विधि एवं तथ्य सबंधी त्रुटि कारित की है?

**विनिश्चय :—**

अपीलार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

**विनिश्चय के कारण :—**

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष सवंत् 2012 से 2034 तक की खसरा गिरदावरी, सरकारी लगान इंद्राज ढालबांछ की नकलें, खेवट खतौनी संवत् 2025 से 2028 आदि की नकलें प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार वादी विवादित आराजी का गैर खातेदार काबिज काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में अंकित था। तत्पश्चात् सेटलमेंट विभाग ने वादी को पाकिस्तान भाग जाना बताते हुये बिना उसे सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर दिया विवादित आराजी राजकीय सिवाचयक दर्ज कर दी। वादी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपना कब्जा काश्त 1955 से लगातार प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से बखुबी साबित किया है तथा कब्जे काश्त से सबंधित कायम की गई तनकी सं.1 उसके पक्ष में अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णित की गई है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वादी रियासत काल से ग्राम खैरूवाला के खेत सं. 5 रकबा 34.10 बीघा भूमि पर कृषक की हैसियत से काबिज होकर लगान दिया जाना स्थापित किया है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णित तनकी सं. 2 अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत जुबानी व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1955 से पूर्व से कृषक के रूप में काबिज काश्त निरंतर चला आ रहा है। मुख्यतः स्थाई बंदोबस्त के समय जो जमाबंदी बनी है, उस रिकोर्ड में अंकन होना शेष रह गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख में शुद्धिकरण के

लिये वादी को उत्तरदायी नहीं माना तथा खातेदारी अधिकार के सबंध में धारा 15 एएए(2–ए) के प्रावधान के अनुसार वादी खातेदारी प्राप्त करने की शर्तों को धारित करना माना। विचारण न्यायालय ने मात्र वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया कि वादी के पाक पलायन करने से सेटलमेंट विभाग द्वारा विवादित आराजी को सहीं रूप से सिवायचक दर्ज किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राज्य सरकार द्वारा विचारण के दौराने ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रकट होता हो कि वादी के पाकिस्तान जाने व देशद्रोही हो जाने के कारण उसकी खातेदारी निरस्त हुई हो। मूल वाद में इस महत्वपूर्ण बिन्दु के सबंध में कोई विवाधक विरचित नहीं किया गया था और न ही इस तथ्य के सबंध में कोई सारभूत साक्ष्य विचारण के दौरान पेश हुई है। ऐसी स्थिति में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सिवायचक दर्ज होना सेटलमेंट की त्रुटि से न होना मानकर वादी के पाकिस्तान पलायन होने से मानना त्रूटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित है। इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय की विवेचना स्पष्ट एवं त्रुटिविहिन है। हमारी सुविचारित राय में योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने तथ्यों एवं साक्ष्य के परिपेक्ष्य में तनकीवार विवेचन करते हुये वादी का वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रुटि नहीं की है।

9– उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी का दावा डिक्री करने में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के स्तर पर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत हो। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को एतदद्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एस.के.पुरोहित)**
**सदस्य**

**(अविनाश चौधरी)**
**सदस्य**